

बिन्दु-1**विभाग का संगठन एवं कार्य**

भारत के ग्रामीण अंचलो में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुए सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तों पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था की अधिकारिक रूप से शुरुआत वर्ष 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई, जो सहकारिता की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल दो प्रकार शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समितियों का गठन किया गया। इस अधिनियम के पारित होते ही इसके प्राविधानों को उत्साह के साथ लागू करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये और सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये, जिससे वर्षानुवर्ष सहकारी आन्दोलन में प्रगति स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगी। इस अधिनियम में आगे चलकर कुछ कमियाँ भी दृष्टिगोचर हुईं, जिन्हें दूर करते हुए तथा सहकारिता के कार्यक्षेत्र में वृद्धि लाते हुए वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाने वाली समिति के अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण मिल जाने से ऋण देने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका। तत्पश्चात सहकारी आन्दोलन के बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 130 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 30प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 अधिसूचित की गई। वर्तमान में इसी अधिनियम एवं नियमावली के अधीन समस्त सहकारी समितियाँ अपने कार्यों का निष्पादन कर रही हैं।

सहकारिता विभाग के संगठन का दृष्टिकोण न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है, वरन् प्रदेश के विभिन्न अंचलों में ग्रामीण तथा शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्धशाली बनाते हुए उनके स्तर को ऊँचा उठाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे क्य-विक्रय, शीतगृह, श्रम, उपभोक्ता, सहकारी ऋण एवं अधिकोषण आदि कार्यान्वित कर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

यह विभाग समितियों के लिये एक मित्र, विचारक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा उनके कार्यों में आवश्यक निर्देश देता है तथा पर्यवेक्षण करता है। सहकारी समितियाँ सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्बल वर्ग के लोगों को समितियों की अंशपूजी में विनियोजन हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन एवं संग्रहण में सहायता करती है और क्य विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में भी सहयोग प्रदान

करती है। यह समितियाँ किसानों को कृषि कार्य के प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि निवेशों को उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है तथा ग्रामीण /नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य में दैनिक आवश्यकताओं की उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। प्रारम्भिक कृषि समितियाँ, ऋण समितियाँ, जिनकी संख्या वर्तमान में लगभग 7479 है, को बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक समिति पर एक दुकान एवं कार्यालय की व्यवस्था है तथा कुछ समितियों में सचिवों हेतु आवासीय सुविधा भी दी गयी है।

सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने हेतु सहकारी पर्यवेक्षकों, प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों में कार्यरत सचिवों एवं जिला सहकारी बैंकों के सचिवों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जा रही है। आलू उत्पादकों को निजी व्यवसायों के शोषण से बचाने हेतु विभाग में उत्तर प्रदेश आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ लि० का गठन किया गया है।

प्रदेश के समस्त आबादी में लगभग 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं, जिनके पास इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं कि वे सहकारी ऋण संस्थाओं के सदस्य बनकर प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें। अतः इस वर्ग के लोगों को सहकारिता के परिधि में लाकर उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु कम्पौनेंट प्लान योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा अल्पकालीन ऋण/ अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन विभागीय अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग सहकारिता के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है। प्रदेश में संचालित विभागीय योजनाओं हेतु अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत तथा स्पेशल कम्पौनेंट प्लान से सम्बन्धित योजनाओं हेतु आय-व्ययक प्राविधान समाज कल्याण विभाग की अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत उपलब्ध होता है।

सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों का चयन, अनुशासनिक नियन्त्रण एवं सेवा नियमों के अनुमोदन आदि कार्य हेतु वर्ष 1972 से उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल गठित हैं।

सहकारी समितियों में धन के अपहरण के मामले की शीघ्र जांच एवं निस्तारण करने हेतु सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संगठित विशेष पुलिस अनुसंधान शाखा द्वारा प्राथमिकता पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है।

सहकारी समितियों के लेखों के सम्प्रेक्षण एवं उनके रख रखाव के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाता है जो सम्प्रेक्षण के उपरान्त धन के अपहरण, गबन आदि गम्भीर मामलों को निबन्धक एवं समिति पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करते हैं।

सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उ०प्र० सहकारी न्यायाधिकरण का गठन भी 1971 में किया जा चुका है।

विभाग का प्रशासनिक ढॉचा :-

1. मुख्यालय में निबन्धक/अपर निबन्धक/उप निबन्धक/सहायक निबन्धक/वित्त नियंत्रक/मुख्य तकनीकी अधिकारी/अभियन्ता/लेखाधिकारी आदि नियुक्त है।
 2. मण्डल में प्रथम श्रेणी के अधिकारी यथा स्थिति संयुक्त निबन्धक/उप निबन्धक नियुक्त है।
 3. प्रत्येक मण्डल में एक-एक सहायक निबन्धक उपभोक्ता नियुक्त है।
 4. मण्डलों में वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार नियुक्त हैं।
 5. प्रत्येक मण्डल में एक-एक जिला सहायक निबन्धक/कुछ जिलों में जिला सहायक निबन्धक के सहायतार्थ एक अतिरिक्त सहायक निबन्धक नियुक्त है।
 6. कृषि योजना के अन्तर्गत लखनऊ, रामपुर एवं वाराणसी जिलों में सहायक निबन्धक कृषि नियुक्त हैं।
 7. प्रत्येक तहसील में एक अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 नियुक्त हैं।
 8. प्रत्येक विकास खण्ड में एक सहायक विकास अधिकारी (सह0)/सहकारी निरीक्षक,वर्ग-2 कार्यरत है।
 9. उपर्युक्त के अतिरिक्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त हैं।
- निबन्धक (उ0प्र0 सहकारी अधिनियम-1965 की धारा-3(1) के अन्तर्गत नियुक्त)

मुख्यालय स्तर पर :-

- 1- अपर निबन्धक
- 2- वित्त नियंत्रक
- 3- मुख्य तकनीकी अधिकारी
- 4- उप निबन्धक / योजनाधिकारी
- 5- वरिष्ठ परिलेख अधिकारी
- 6- सहायक निबन्धक
- 7- शोध अधिकारी

मण्डल स्तर पर :-

- 1- क्षेत्रीय उप निबन्धक / संयुक्त निबन्धक
- 2- क्षेत्रीय सहायक निबन्धक (कृषि, उपभोक्ता)
- 3- वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार

जनपद स्तर पर :-

सहायक निबन्धक

तहसील स्तर पर :-

सहकारी निरीक्षक वर्ग-1

विकासखण्ड स्तर पर :-

सहकारी निरीक्षक वर्ग-2

नोट:- उक्त के अतिरिक्त अन्य अधीनस्थ स्टाफ (लेखा वर्ग, लिपिक वर्ग, पर्यवेक्षक एवं सहयोगी भी कार्यरत हैं।)